

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक—वा०क०अधि०/पू०पी०ग०) / 18, दिनांक : लखनऊ : २४ : नवम्बर—२०१८

—:: आदेश ::—

मुख्यालय द्वारा पूर्व निर्गत आदेशांक—2282/18 दिनांक 06.11.18 द्वारा सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण झाँसी—पीठ,झाँसी में पूर्ण पीठ से सम्बन्धित लम्बित 05 द्वितीय अपीलों के निस्तारण हेतु दिनांक 10.12.18 व 11.12.18 के लिए श्री बृजेन्द्र मणि त्रिपाठी, एच०जे०एस०, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—झाँसी, श्री विकेक कुमार दुबे, एच०जे०एस०, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—प्रथम कानपुर तथा श्री अशोक कुमार गुप्ता, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—3 कानपुर को सम्मिलित करते हुए झाँसी में पूर्ण पीठ गठित की गयी थी।

श्री बी० एम० त्रिपाठी, एच०जे०एस०, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ—झाँसी के पत्र सं० 379/2018 दिनांक 26.11.2018 पर सम्यक विचारोपरान्त, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशांक—६३०/Admin. (Service) /2018 Dated: Allahabad :November 19, 2018 के अनुक्रम में दिनांक 10.12.2018 से 14.12.2018 तक Judicial Training & Research Institute, U.P. Lucknow स्थित गठित ट्रेनिंग में श्री बृजेन्द्र मणि त्रिपाठी, एच०जे०एस०, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ—झाँसी को नामित किये जाने के फलस्वरूप झाँसी में गठित पूर्ण पीठ दिनांक 10.12.18 व 11.12.18, तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।
तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराया जाये।

(प्रेम कला सिंह)

एच०जे०एस०,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन – वा०क०अधि०/पू०पी०ग०/२५२१ /2018, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1—सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण झाँसी—पीठ,झाँसी।
- 2—सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण कानपुर पीठ—प्रथम/तृतीय कानपुर।
- 3—कमिशनर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4—मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्पयूटर) मुख्यालय।
- 5—सम्बन्धित अधिवक्ता रांघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।